

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

गणेश राम

बनाम लाल मय्यन्द

कार्यवाही अन्तर्गत

128 CR 18

केस मुकदमा

पार्ष्णी पत्र

नं.

46

सन

2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>09/12/2020 2020 00034</p>	<p>पार्ष्णी पञ्चायत गांवों के लोग इनिशियल्स जज के तहत 128 CR 18 का कार्यवाही चिन्तिर से निस्तारण हेतु लाठी मर्द। इसमें पार्ष्णी का उपलोकन किया। पार्ष्णी गांव मीनों का कन्वार्शन प.ह. जालमपुरा जिला कारजी संख्या 374/908 रकब 0.8500 हे. भूमि की पत्थरगदी फलाना न्यायत है। पार्ष्णी में पालन नकल जमाकरी सन् 2012-2015 अनुयात उक्त कारजी जमीन के सहयोगेरी में दर्ज रेकर्ड है। उक्त पार्ष्णी का पार्ष्णी पत्र क्रमांक द्वारा 128 CR 18 (सीका) किया जाका गांव मीनों का कन्वार्शन प.ह. जालमपुरा जिला कारजी संख्या 374/908 रकब 0.8500 हे. की बिना फिली के फलसे से देवलनगी किर सेटलमेन्ट नकल अनुयात पत्थरगदी किर गांव के आदेश दिए जाते हैं। कमिश्नर शुल्क 500000 रुको पांच लाख रुपय पार्ष्णी वदन करेगा। पालन नकल निस्तारण को निस्तारण गांव के लिखित सूचना देकर निष्पत्तुयात पत्थरगदी की जाके एवं पालन रिपोर्ट न्यायत में प्रस्तुत करें। पार्ष्णी जिला न्यायत होकर नम्बर ले कम हो।</p>	

(श्याम सुन्दर विश्वाडे)
महायुक्त कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

